प्रशिक्षण पुस्तिका

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

PART III
ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारिख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

PART III
ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

विशेष कानून क्यों?

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छू-अछूत दंडनीय अपराध है

- शुरू में, मंदिरों और होटलों में प्रवेश प्रतिबंधित करने जैसे छू-अछूत अपराधों को दंडित करने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया गया और कानून को मज़बूत बनाने के लिए 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में संशोधित भी किया गया

- बढ़ते अत्याचारों से लडने के लिये मौजूदा कानूनों की अक्षमता को देखते हुए एक नए व्यापक और मजबूत कानून की आवश्यकता महसूस हुई

- जाति व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया गया

2. परिभाषाएं– (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अत्याचार" से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है।

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है।

अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड– (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ौस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुँचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है,

अत्याचार क्या है?

- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों द्वारा किए गए अपराध

- कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं, धारा 3 के अंतर्गत 37 अपमानजनक अपराध अत्याचार की सूची में शामिल

- अनुसूचित जातियों या जनजातियों के विरुद्ध अन्य अनुसूचित जातियों या जनजातियों द्वारा किए गए अपराध इसमें शामिल नहीं

- खानाबदोश जनजातियों या विमुक्त जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराध इसमें शामिल नहीं

धारा 3

1) भूमि और संपत्ति के विरुद्ध अत्याचार

2) रोज़गार के विरुद्ध अत्याचार

3) घरों/पवित्र वस्तुओं के विरुद्ध अत्याचार

4) चुनावी अधिकारों के विरुद्ध अत्याचार

5) सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के विरुद्ध अत्याचार

6) व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

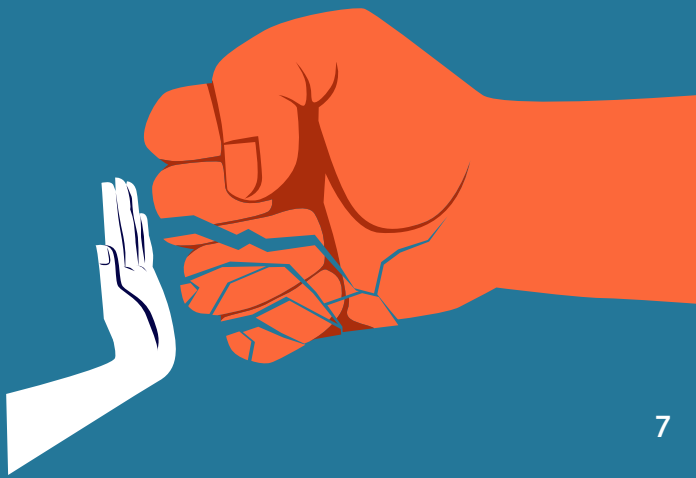

धारा 3 - भूमि और संपत्ति के विरुद्ध अत्याचार

- परिसर या पड़ोस में मल, सीवेज, शव या किसी भी घिनौना या आपत्तिजनक पदार्थ को फेंकना
- भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करना या उस पर खेती करना
- गलत तरीके से वन अधिकार, पानी या सिंचाई सुविधाओं सहित भूमि से वंचित करना

धारा 3 - रोज़गार के विरुद्ध अत्याचार

- बेगार या अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करना
- कब्र खोदने या शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर करना
- मैला ढोने के लिए मजबूर करना
- जादू-टोना करने या डायन होने का आरोप लगाकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचान

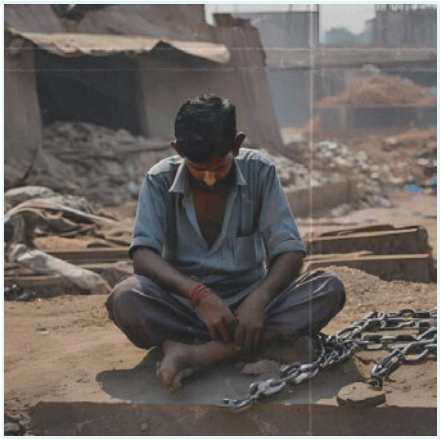

धारा 3 - घरों/पवित्र वस्तुओं के विरुद्ध अत्याचार

- उच्च सम्मान में मानी जाने वाली तस्वीर, चित्र या वस्तुओं को नष्ट करना
- उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना
- आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
- उपयोग किए जाने वाले किसी भी घर या पूजा स्थल में आग लगाकर क्षति पहुंचाना

धारा 3 - चुनावी अधिकारों के विरुद्ध अत्याचार

- मतदान करने से रोकना
- उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने/वापस लेने से मजबूर करना
- मतदान के बाद चोट पहुंचाना या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देना
- किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष/विरुद्ध में मतदान करने के लिए कोई अपराध करना
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित पंचायत, नगर पालिका के किसी अधिकारी को सामान्य कर्तव्यों / कार्यों को करने से रोकना

धारा 3 - सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के विरुद्ध अत्याचार

- किसी झरने, जलाशय या पानी के किसी अन्य स्रोत को दूषित या गंदा करना
- किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने के अधिकार से इनकार करना या उसमें बाधा डालना
- गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना
- किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या धमकी देना

सामान्य संपत्ति संसाधनों के उपयोग में बाधा डालना / रोकना जिनमें शामिल: • दफ़न या श्मशान • नदी, नाला, कुआँ • टंकी, पानी का नल, • सड़क या मार्ग • स्नान घाट	निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने से रोकना या बाधा डालना • साइकिल चलाना • सार्वजनिक स्थानों पर जूते / नए कपड़े पहनना • बारात निकालना • बारात के दौरान घोड़े/किसी अन्य वाहन पर चढ़ना

धारा 3 - व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार

- कोई आपत्तिजनक या अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना
- जूते-चप्पलों की माला पहनाएं या नग्न/अर्धनग्न होकर घुमाना
- जबरदस्ती सिर मुंडवाना या मूंछें हटाना या चेहरे या शरीर पर रंग लगाना या इसी तरह के कृत्य
- किसी के विरुद्ध झूठी कानूनी कार्यवाही करना
- किसी को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए लोक सेवक को गलत जानकारी देना
- सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर जानबूझकर अपमानित करना
- जान-बूझकर सार्वजनिक दृष्टि से जाति के नाम से अपमान करना या अपमानित करना

- शब्दों या संकेतों के माध्यम से शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना

- झूठे साक्ष्य देना जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्य को मौत, फांसी या सात साल या अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है

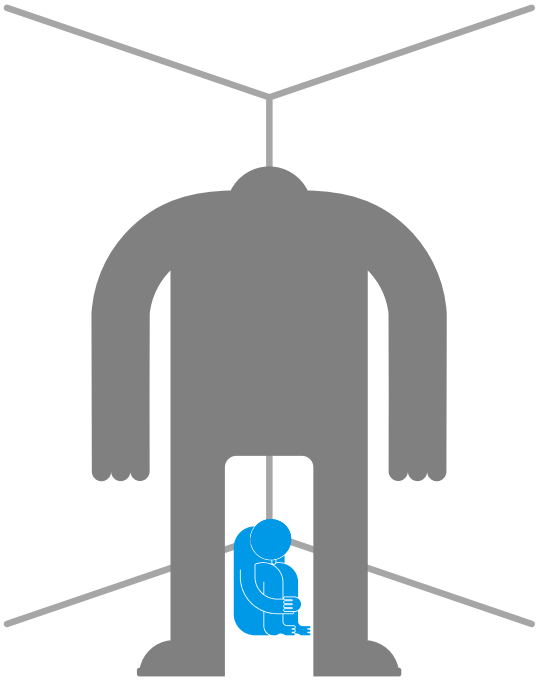

धारा 3 - महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

- किसी महिला को किसी धार्मिक संस्था के लिए समर्पित करके देवदासी का प्रदर्शन या प्रचार करना
- किसी महिला को उसके सहमति के बिना जानबूझकर छूना
- किसी महिला के प्रति यौन प्रकृति के शब्दों या इशारों का प्रयोग करना

महत्वपूर्ण समयसीमाएँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

कानूनी प्रक्रिया की समयसीमा (दिनों में)

0 → (01.01.2024)	7 → (08.01.2024)	60 → (01.03.2024)	60 → (01.05.2024)
अत्याचार / FIR की तिथि	जिला अधिकारी से मुआवजा	FIR दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा आरोप पत्र	आरोपपत्र के 60 दिन के भीतर सुनवाई का समापन

90 → (01.08.2024)	180 → (01.11.2024)	90 (01.02.2025)
निर्णय प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील	यदि अपील दायर नहीं की, तो 180 दिनों तक देरी माफ	अपील दायर करने के 3 महीने के भीतर निर्णय

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

कानून का अध्याय IV-A

- हालांकी अत्याचार निवारण का कानून 1989 में बनाया गया, फिर भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई

- पीड़ितों और गवाहों को धमकियों से बचाने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए 2016 में विशेष संशोधन लाया गया

- संशोधन पीड़ितों और गवाहों को कानूनी प्रक्रिया में विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है

- इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए, किसी वकील या विशेष न्यायाधीश से अधिकारों को लागू करने के लिए आग्रह करें

धारा 15क

- धमकी, जबरदस्ती या हिंसा या हिंसा की धमकियों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा का अधिकार
- जमानत कार्यवाही सहित अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार
- पार्टियों को दस्तावेज़ या गवाह पेश करने या उपस्थित व्यक्तियों की जांच करने के लिए समन करने का अधिकार
- जमानत, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि, बरी, या सजा पर लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने और सुने जाने का अधिकार
- आदेशों, निर्णयों या रिकॉर्ड में नाम और पता गुमनाम रखने का अधिकार
- किसी पीड़ित, मुखबिर या गवाह के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का अधिकार

- अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग का अधिकार

- अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों को गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार

सतर्कता और निगरानी : प्रशासनिक अंग व अधिकार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सतर्कता और निगरानी

- कानून का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि अत्याचारों को रोकना भी है

- अत्याचार रोकने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को कई अधिकार दिए गए हैं जैसे कि - सामूहिक जुर्माना लगाना, अपराधी की संपत्ति जब्त करना, अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को गाँव से निर्वासित करना

- अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए अनुमंडल, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं, जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकते हैं

- पुलिस उत्पीड़न को देखते हुए पुलिस के व्यवहार और जांच पर निगरानी रखने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष स्थापित होता है

राहत और मुआवज़ा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

पीड़ितों और आश्रितों को मुआवज़े का अधिकार

- अत्याचार के तुरंत बाद पीड़ितों और उनके आश्रितों की सुरक्षा के लिए मुआवजा दिया जाता है

- मुआवज़ा किश्तों में दिया जाता है:
  1. पहले FIR के चरण में;
  2. फिर पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के चरण में;
  3. फिर अदालत द्वारा दोषसिद्धि के चरण में

- अपराध के आधार पर मुआवजे की कुल राशि Rs. 85,000 से Rs. 8,25,000 तक होती है

- भूमि, मकान, सरकारी नौकरी, पीड़ित के बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण खर्च आदि के आवंटन के रूप में भी पीड़ित मुआवजे का हकदार है

- यदि प्रशासन विफल रहता है, तो विशेष न्यायालय के पास मुआवजे का आदेश देने की शक्ति है

मुआवज़े की प्रक्रिया

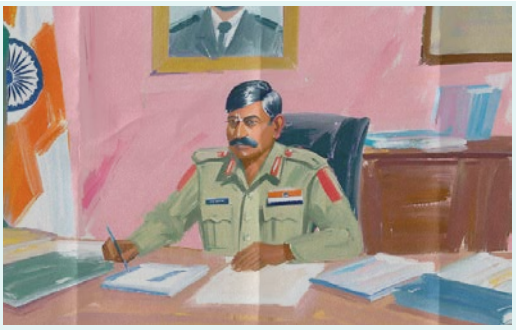

1

2

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजती है

मुआवज़े की प्रक्रिया

3

4

जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित विकास मित्र से पीडितों/आश्रितों के आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण की प्रति एकत्र करने को कहता है

मुआवज़े की प्रक्रिया

5

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

6

एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजती है

मुआवज़े की प्रक्रिया

7

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

8

जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुआवजा अनुसूची के अनुसार, मुआवजे की राशि पीड़ित के बैंक खाते में जमा कर देता है

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१) (क)	कोई आपत्तिजनक या अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१) (ख) या (ग)	परिसर या पड़ोस में मल, सीवेज, शव या किसी भी घिनौना या आपत्तिजनक पदार्थ को फेंकना	10,000	50,000	40,000	1,00,000
३(१) (घ)	जूते-चप्पलों की माला पहनाएं या नग्न/ अर्धनग्न होकर घुमाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१) (ङ)	जबरदस्ती सिर मुंडवाना या मूंछें हटाना या चेहरे या शरीर पर रंग लगाना या इसी तरह के कृत्य	25,000	50,000	25,000	1,00,000

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(च) या(छ)	भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करना / उस पर खेती करना / गलत तरीके से वन अधिकार, पानी या सिंचाई सुविधाओं सहित भूमि से वंचित करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000 + संपत्ति की बहाली
३(१)(ज)	बेगार या अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(झ)	कब्र खोदने या शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया जाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ञ)	मैला ढोने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(ट)	किसी महिला को किसी धार्मिक संस्था के लिए समर्पित करके देवदासी का प्रदर्शन या प्रचार करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ठ), (ण)	मतदान करने/किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष/ विपक्ष में मतदान करने/ उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने/ वापस लेने से मजबूर करना या रोकना	21,250	42,500	21,250	85,000
३(१)(ड)	अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य अधिकारी को सामान्य कर्तव्यों / कार्यों को करने से रोकना	21,250	42,500	21,250	85,000
३(१)(ढ)	मतदान के बाद चोट पहुंचाना या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देना	21,250	42,500	21,250	85,000

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(त)या (थ)	किसी के विरुद्ध झूठी कानूनी कार्यवाही करना या परेशान करने के लिए किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देना	21,250 या (25%)	42,500 या (50%)	21,250 या (25%)	85,000 या (क़ानूनी ख़र्च)
३(१)(द)	सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर जानबूझकर अपमानित करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ध)	जान-बूझकर सार्वजनिक दृष्टि से जाति के नाम से अपमान करना या अपमानित करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(न)	उच्च सम्मान में मानी जाने वाली क़ानून, तस्वीर या चित्र सहित वस्तुओं को नष्ट करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(प)	शब्दों या संकेतों के माध्यम से शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना	25,000	50,000	25,000	1,00,000

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(फ)	उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ब)(i) या (ii)	किसी महिला को उसकी सहमति के बिना जानबूझकर छूना या उसके प्रति यौन प्रकृति के शब्दों या इशारों का प्रयोग करना	50,000	1,00,000	50,000	2,00,000
३(१)(भ)	किसी झरने, जलाशय या पानी के किसी अन्य स्रोत को दूषित या गंदा करना	-	-	-	पुनर्स्थापना की पूरी लागत
३(१)(म)	किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने के अधिकार से इनकार करना या उसमें बाधा डालना	1,06,250	2,12,500	1,06,250	4,25,000+ पुनर्स्थापना की पूरी लागत

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(य)	गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000+ परिसर की बहाली
३(१)(यक)	सामान्य संपत्ति संसाधनों के उपयोग में बाधा डालना / रोकना या कार्य करने से रोकना	25,000	50,000	25,000	1,00,000+ अधिकारों की बहाली
३(१)(यख)	जादू-टोना करने या डायन होने का आरोप लगाकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(यग)	किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या धमकी देना	-	1,00,000	-	1,00,000+ बहिष्कार का पूर्ववत

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(य)	गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000+ परिसर की बहाली
३(१)(यक)	सामान्य संपत्ति संसाधनों के उपयोग में बाधा डालना / रोकना या कार्य करने से रोकना	25,000	50,000	25,000	1,00,000+ अधिकारों की बहाली
३(१)(यख)	जादू-टोना करने या डायन होने का आरोप लगाकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(यग)	किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या धमकी देना	-	1,00,000	-	1,00,000+ बहिष्कार का पूर्ववत

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी/ मेडिकल रिपोर्ट की प्राप्ति	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(२)(v)	भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध के लिए 10 साल या उससे अधिक की सजा	1,00,000	2,00,000	1,00,000	4,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 375, 376, 376ए, 376ई, 377 - बलात्कार	2,50,000	1,25,000	1,25,000	5,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 376डी - सामूहिक बलात्कार	4,12,500	2,06,250	2,06,250	8,25,000
	हत्या या मौत	4,12,500	4,12,500	-	8,25,000

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी/ मेडिकल रिपोर्ट की प्राप्ति	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(२)(va)	भा० दं० सं० के तहत अपराध के लिए 10 साल से कम की कैद की सजा	50,000	1,00,000	50,000	2,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 354, 354क, 354ख, 376ख, 376ग - महिलाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग, यौन उत्पीड़न, महिला के गरिमा का अपमान	1,00,000	50,000	50,000	2,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 354ग, 354घ - ताक-झांक, पीछा करना	20,000	1,00,000	80,000	2,00,000

मुआवज़े की प्रक्रिया

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	मेडिकल रिपोर्ट की प्राप्ति	सम्पूर्ण
३(२)(v) / (va)	भा० दं० सं० की धारा 326क और 326ख - जानमुझकर तेजाब आदि के प्रयोग से गंभीर चोट पहुंचाना	50%	50%	85,000 or 4,15,000 or 8,25,000 जलने की डिग्री के आधार पर + चिकित्सा उपचार व्यय के भुगतान